File No. अधि-1-12/10/2022-F3-FOREST DEPT (Computer No. 6173)

1/13246/2023

1/13246/2023

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक,HoFF, उत्तराखण्ड, देहरादून

वनादेश सं0 31 /1-13(13)(H.R.D)देहरादून दिनांक, 11 जनवरी, 2023

पदोन्नति/तैनाती

वैयक्तिक सहायक संवर्ग में मुख्य वैयक्तिक अधिकारी के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1/8677/2022/1–13 एच0आर0डी0 दिनांक 28–10–2022 द्वारा चयन समिति का गठन किया गया था। चयन समिति की दिनांक 03–11–2022 को बैठक आयोजित की गयी। समिति की संस्तुति के आधार पर **श्री घनश्याम चन्द्र आर्य, वैयक्तिक अधिकारी वेतनमान 44900–142400 लेविल–7 को मुख्य वैयक्तिक अधिकारी वेतनमान 56100–177500 लेविल–10 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर उनकी तैनाती** उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित कार्यालय में उल्लिखित शर्तो के साथ जनहित में की जाती है :–

क्र0 सं0	वैयक्तिक अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय
1	2	3	4
1	श्री घनश्याम चन्द्र आर्य	मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी	प्रमुख वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड, देहरादून

1. पदोन्नत कार्मिक द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

2. संबंधित कर्मचारी आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्तर्गत अपनी पदोन्नति पद पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नही दिया जाता है तो संबंधित कर्मचारी का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति कर दी जायेगी।

3. कार्मिक की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान अथवा पदोन्नति स्वीकार न करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को कार्मिक के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रुप से उपलब्ध करा दी जाये।

4. नियंत्रक अधिकारी संबंधित कार्मिकों को समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें यदि कार्मिक द्वारा पदोन्नति स्वीकार नही की जा रही हो तो कार्मिक से लिखित रुप में इस आशय का पत्र प्राप्त कर तत्काल इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित करें।

5. वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम–22(ए)(1) एवं 22–बी(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण संबंधी तिथि विकल्प दिये जाने हेतु इस आदेश निर्गमन की तिथि से 01 माह की समय–सीमा सरकारी सेवक को उपलब्ध होगी और एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

Signed by Vinod Kumar
Date: 11-01-2023 15:50:11

(विनोद कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक, HoFF

पत्र सं0 1/13246/2023(1)/1–13 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक, HOFF उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना, हल्द्वानी।
3. मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन देहरादून।
4. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
6. मु0व0सं0, आई0टी0जी0सी0, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
7. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

(विनोद कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक, HoFF

Generated from eOffice by KULDEEP SINGH RAWAT, Kulddep_Singh_Rawat_SAO, SENIOR ADMINISTRATIVE OFFICER, FOREST DEPT on 11/01/2023 04:21 pm